



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 160]

नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 25, 2017/वैशाख 5, 1939

No. 160]

NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 25, 2017/VAISAKHA 5, 1939

विदेश मंत्रालय

(विश्व मामलों की भारतीय परिषद)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 अप्रैल, 2017

**एफ सं. आई.सी.डब्ल्यू.ए./एडमिन./551/24/2012.**—भारतीय वैश्विक मामले अधिनियम, 2001 (2001 का 29) की धारा 26 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद, भारतीय वैश्विक मामले परिषद में विभिन्न पदों की भर्ती की पद्धति का विनियमित करने हेतु निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थातः—

- संक्षिप्त शीर्षक तथा प्रारम्भ.**—(1) इन विनियमों को भारतीय वैश्विक मामले परिषद, भर्ती नियम, 2017 कहा जाए।  
(2) ये सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होंगे।
- पदों की संख्या, वर्गीकरण एवं वेतन मैट्रिक्स में लेवल.**—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण एवं वेतन मैट्रिक्स में लेवल, उक्त अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में यथा विनिर्दिष्ट होंगे।
- भर्ती पद्धति.**—आयु सीमा, योग्यता इत्यादि :- (1) उक्त पदों की भर्ती पद्धति, आयु सीमा, योग्यता एवं अन्य मामले उक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में यथा विनिर्दिष्ट होंगे।
- अयोग्यता.**—कोई भी व्यक्ति  
(क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है जिसका जीवित पति/पत्नी है, या  
(ख) जिसने जीवित पत्नी/पति के रहते हुए किसी अन्य व्यक्ति के साथ विवाह किया है, परिषद में उक्त पदों पर नियुक्ति के लिए अयोग्य होगा;  
बशर्ते कि परिषद, यदि संतुष्ट होता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति एवं दूसरे पक्ष पर लागू व्यक्तिगत कानून के अंतर्गत विवाह करने के लिए अनुमेय है तथा कि वहां ऐसा विवाह करने के लिए अन्य कारण भी हैं, तो इस विनियम के प्रभाव से अमुख्य व्यक्ति को छूट दे सकते हैं।
- छूट प्रदान करने की शक्ति.**—जहां महानिदेशक का मत है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है तो वह वित्त सलाहकार की स्वीकृति से, आदेश द्वारा तथा कारणों को लिखित में अभिलेखबद्ध करते हुए किसी पद के संबंध में इन विनियमों के किसी प्रावधान से छूट प्रदान कर सकते हैं।
- बचाव.**—इन नियमों में कोई भी बात इस संबंध में केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों तथा व्यक्तियों के अन्य विनिर्दिष्ट वर्गों के लिए अपेक्षित आरक्षण, आयु सीमा में छूट एवं अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी।

## अनुसूची

पदनाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में लेवल	चयन पद अथवा गैर चयन पद	सीधी भर्ती के लिए आयु की सीमा	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक एवं अन्य योग्यता	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता तथा आयु पदोन्नत व्यक्ति के मामले में भी लागू होगी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.लेखा अधिकारी	1* (2017) *परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर	सामान्य केन्द्रीय सेवा श्रेणी 'ख' राजपत्रित, गैर मंत्रालयी	लेवल 8	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं ।

परीवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती का तरीका चाहे सीधी भर्ती अथवा पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति/विलयन द्वारा हो तथा विभिन्न तरीकों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत	यदि पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ विलयन द्वारा भर्ती होनी हो तो ग्रेड जिनसे पदोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/विलयन किया जाना है।	यदि विभागीय पदोन्नति समिति मौजूद है तो इसकी संरचना क्या है	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं	पदोन्नति द्वारा, असफल होने पर, नियंत्रक महालेखा, वित्त मंत्रालय की संगठित लेखा सेवा से प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा	<b>पदोन्नति द्वारा :</b> सहायक लेखाकार जिसका वेतन मैट्रिक्स में लेवल 6 है तथा वे इस ग्रेड में 6 वर्षों से नियमित सेवा में हैं। <b>नोट:</b> —जिन कनिष्ठ अधिकारियों ने अपनी अर्हक एवं पात्रता सेवा पूरी कर ली है वे पदोन्नति के लिए विचारणीय हैं। उनके वरिष्ठ अधिकारी भी पदोन्नति के लिए विचारणीय होंगे बशर्ते कि उनके लिए अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा ऐसी अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा की अवधि के आधे से न्यून या दो वर्ष से कम ना हो और उन्होंने आगामी उच्च ग्रेड पर पदोन्नति के लिए अपनी परीवीक्षा अवधि अपने कनिष्ठ अधिकारियों के साथ सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो, जिन्होंने उतनी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है। <b>प्रतिनियुक्ति द्वारा :-</b> केन्द्रीय सरकार के अंतर्गत निम्नलिखित अधिकारी : (क) (i) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर समरूप पदधारण करने वाले; अथवा (ii) मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में लेवल 6 अथवा समकक्ष पदों में नियमित आधार पर नियुक्ति के उपरांत ग्रेड में पांच वर्षों की नियमित सेवा सहित; अथवा (मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में लेवल 6 अथवा समकक्ष पदों में नियमित आधार पर नियुक्ति के उपरांत ग्रेड में छः वर्षों की नियमित सेवा सहित.); एवं	विभागीय पदोन्नति समिति (चयन एवं स्थायीकरण के लिए) जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं : (i) महानिदेशक, विश्व मामलों की भारतीय परिषद —अध्यक्ष (ii) उप महानिदेशक, विश्व मामलों की भारतीय परिषद —सदस्य (iii) निदेशक, विदेश मंत्रालय —सदस्य	लागू नहीं

		<p>(ख) निम्नलिखित शैक्षिक योग्यताओं में से कोई एक अर्हकता रखने वाले :</p> <p>(i) केन्द्र सरकार के किसी भी संगठित लेखा विभाग द्वारा संचालित अधीनस्थ लेखा सेवा या समकक्ष परीक्षा में पास;</p> <p>(ii) आईएसटीएम के नकद एवं लेखा कार्य में सफल प्रशिक्षण अथवा समकक्ष प्रशिक्षण पाठ्यक्रम या नकद, लेखा एवं बजट कार्य में कम से कम तीन वर्ष का अनुभव (यदि वेतन मैट्रिक्स में लेवल 8 है, तो चार वर्ष का अनुभव)।</p> <p><b>नोट 1 :</b> संभरक श्रेणी के विभागीय अधिकारी जोकि पदोन्नति की सीधी श्रृंखला में हैं वे प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति हेतु विचारणीय नहीं होंगे। इसी तरह, प्रतिनियुक्ति वाले भी पदोन्नति द्वारा नियुक्ति हेतु विचारणीय नहीं होंगे।</p> <p><b>नोट 2 :</b> प्रतिनियुक्ति की अवधि इसमें उसी या केन्द्रीय सरकार के किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से तुरन्त पूर्वधारित किसी अन्य गैर संवर्ग पद में प्रतिनियुक्ति की अवधि भी सम्मिलित है, तीन वर्षों से अधिक नहीं होगी।</p> <p>प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि को 56 वर्षों से अधिक नहीं होगी।</p>		
--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. सहायक लेखाकार	1* (2017)  * इसमें परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर	श्रेणी 'ख'	लेवल 6	लागू नहीं	30 वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गये अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)  नोट :- आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तिथि जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, लाहौल और स्पीति जिले तथा हिमाचल प्रदेश के चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंडमान निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
अनिवार्य : (1) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय	लागू नहीं	सीधी भर्ती के लिए दो वर्ष	प्रतिनियुक्ति द्वारा जिसके ना होने पर सीधी भर्ती द्वारा	प्रतिनियुक्ति द्वारा :- केन्द्रीय सरकार के अंतर्गत निम्नलिखित अधिकारी :-	विभागीय पदोन्नति समिति (चयन एवं स्थायीकरण के लिए)	लागू नहीं

<p>या संस्थान से कामर्स में स्नातक डिग्री</p> <p>वांछनीय :</p> <p>(1) कम्प्यूटर अनुप्रयोग में सर्टिफिकेट कोर्स;</p> <p>(2) लेखा सॉफ्टवेयर (टेली आदि) में सर्टिफिकेट कोर्स</p>				<p>(क) (1) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर समरूप पदधारण करने वाले; अथवा</p> <p>(2) मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के लेवल 5 अथवा समकक्ष पदों में नियमित आधार पर नियुक्ति के उपरांत ग्रेड में छह वर्षों की नियमित सेवा सहित; अथवा</p> <p>(3) मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के लेवल 4 अथवा समकक्ष पदों में नियमित आधार पर नियुक्ति के उपरांत ग्रेड में आठ वर्षों की नियमित सेवा सहित; तथा</p> <p>(ख) कॉलम (7) में सीधी भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यताएं रखने वाले</p> <p>नोट 1 : प्रतिनियुक्ति की अवधि इसमें उसी या केन्द्रीय सरकार के किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से तुरन्त पूर्वधारित किसी अन्य गैर संवर्ग पद में प्रतिनियुक्ति की अवधि भी सम्मिलित है, तीन वर्षों से अधिक नहीं होगी।</p> <p>नोट 2 : प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त की अंतिम तिथि को 56 वर्षों से अधिक नहीं होगी।</p>	<p>(1) महानिदेशक, भारतीय वैश्विक मामले परिषद – अध्यक्ष</p> <p>(2) उप महानिदेशक, भारतीय वैश्विक मामले परिषद – सदस्य</p> <p>(3) निदेशक, विदेश मंत्रालय – सदस्य</p>	
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3. सहायक (सूचना प्रौद्योगिकी)	1* (2017) * इसमें परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर	श्रेणी 'ख'	लेवल 6	लागू नहीं	30 वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गये अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है) नोट :- आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तिथि जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, लाहौल और स्पीति जिले तथा हिमाचल प्रदेश के चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंडमान निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
अनिवार्य : (1) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कम्प्यूटर अनुप्रयोग या सूचना प्रौद्योगिकी या कम्प्यूटर विज्ञान में स्नातक डिग्री	लागू नहीं	सीधी भर्ती के लिए दो वर्ष	प्रतिनियुक्ति द्वारा जिसके ना होने पर सीधी भर्ती द्वारा	प्रतिनियुक्ति द्वारा :- केन्द्रीय सरकार के अंतर्गत निम्नलिखित अधिकारी :- (क) (1) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर समरूप पदधारण करने वाले; अथवा (2) मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के लेवल 5 अथवा समकक्ष पदों में नियमित आधार पर नियुक्ति के उपरांत ग्रेड में छह वर्षों की नियमित सेवा सहित; अथवा	विभागीय पदोन्नति समिति (चयन एवं स्थायीकरण के लिए) (1) महानिदेशक, भारतीय वैश्विक मामले परिषद – अध्यक्ष (2) उप महानिदेशक, भारतीय वैश्विक मामले परिषद – सदस्य (3) निदेशक, विदेश मंत्रालय – सदस्य	लागू नहीं।

				<p>(ख) कॉलम (7) में सीधी भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यताएं रखने वाले</p> <p>नोट 1 : प्रतिनियुक्ति की अवधि इसमें उसी या केन्द्रीय सरकार के किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से तुरन्त पूर्वधारित किसी अन्य गैर संवर्ग पद में प्रतिनियुक्ति की अवधि भी सम्मिलित है, तीन वर्षों से अधिक नहीं होगी।</p> <p>नोट 2 : प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि को 56 वर्षों से अधिक नहीं होगी।</p>		
--	--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4. प्रवर श्रेणी लिपिक	1* (2017) * इसमें परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर	श्रेणी 'ग'	लेवल 4	अचयन	18 से 27 वर्ष के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गये अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 40 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं	लागू नहीं	शून्य	पदोन्नति द्वारा जिसके ना होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा	<p><b>पदोन्नति :</b></p> <p>ग्रेड में आठ वर्षों की सेवा सहित वेतन मैट्रिक्स के लेवल-2 में अवर श्रेणी लिपिक</p> <p><b>नोट :-</b> जिन कनिष्ठ अधिकारियों ने अपनी अर्हक एवं पात्रता सेवा पूरी कर ली है वे पदोन्नति के लिए विचारणीय हैं। उनके वरिष्ठ अधिकारी भी पदोन्नति के लिए विचारणीय होंगे बशर्ते कि उनके लिए अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा ऐसी अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा की अवधि के आधे से न्यून या दो वर्ष से कम ना हो और उन्होंने आगामी उच्च ग्रेड पर पदोन्नति के लिए अपनी परीवीक्षा अवधि अपने कनिष्ठ अधिकारियों के साथ सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो, जिन्होंने उतनी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है।</p> <p><b>नोट 1:</b> भरक श्रेणी के विभागीय अधिकारी जोकि पदोन्नति की सीधी श्रृंखला में हैं वे प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति हेतु विचारणीय नहीं होंगे। इसी तरह, प्रतिनियुक्ति वाले भी पदोन्नति द्वारा नियुक्ति हेतु विचारणीय नहीं होंगे।</p> <p><b>नोट 2 :</b> प्रतिनियुक्ति की अवधि इसमें उसी या केन्द्रीय सरकार के किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से तुरन्त पूर्वधारित किसी अन्य गैर संवर्ग पद में प्रतिनियुक्ति की अवधि भी सम्मिलित है, तीन वर्षों से अधिक नहीं होगी।</p>	<p>विभागीय पदोन्नति समिति/चयन समिति</p> <p>(1) उप महानिदेशक, भारतीय वैश्विक मामले परिषद – अध्यक्ष</p> <p>(2) संयुक्त सचिव, भारतीय वैश्विक मामले परिषद – सदस्य</p> <p>(3) निदेशक, विदेश मंत्रालय – सदस्य</p>	लागू नहीं।

				<b>नोट 3</b> : प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त की अंतिम तिथि को 56 वर्षों से अधिक नहीं होगी।	
--	--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5. अवर श्रेणी लिपिक	2* (2017) * इसमें परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर	श्रेणी 'ग'	लेवल 2	अचयन	18 से 27 वर्ष के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गये अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 40 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है) <b>नोट</b> :- आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तिथि जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, लाहौल और स्पीति जिले तथा हिमाचल प्रदेश के चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंडमान निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
अनिवार्य : (1) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से बारहवीं कक्षा उत्तीर्ण अथवा समकक्ष वांछनीय : कम्प्यूटर अनुप्रयोग सर्टिफिकेट कोर्स	आयु : नहीं शैक्षिक योग्यता : हां	दो वर्ष	(1) 50 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा; तथा (2) 50 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा	पदोन्नति : ग्रेड में तीन वर्षों की सेवा सहित वेतन मैट्रिक्स के लेवल-1 में मल्टी टास्किंग स्टाफ जोकि कॉलम (7) के अंतर्गत सीधी भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यताएं रखते हैं। नोट :- जिन कनिष्ठ अधिकारियों ने अपनी अर्हक एवं पात्रता सेवा पूरी कर ली है वे पदोन्नति के लिए विचारणीय हैं। उनके वरिष्ठ अधिकारी भी पदोन्नति के लिए विचारणीय होंगे बशर्ते कि उनके लिए अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा ऐसी अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा की अवधि के आधे से न्यून या दो वर्ष से कम ना हो और उन्होंने आगामी उच्च ग्रेड पर पदोन्नति के लिए अपनी परीवीक्षा अवधि अपने कनिष्ठ अधिकारियों के साथ सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो, जिन्होंने उतनी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है।	विभागीय पदोन्नति समिति (चयन एवं स्थायीकरण के लिए) (1) उप महानिदेशक, भारतीय वैश्विक मामले परिषद – अध्यक्ष (2) संयुक्त सचिव, भारतीय वैश्विक मामले परिषद – सदस्य (3) निदेशक, विदेश मंत्रालय – सदस्य	लागू नहीं।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6. मल्टी टास्किंग स्टाफ	14* (2017) * इसमें परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर	श्रेणी 'ग'	लेवल 1	लागू नहीं	18 से 25 वर्ष के बीच नोट :- आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तिथि जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, लाहौल और स्पीति जिले तथा हिमाचल प्रदेश के चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंडमान निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से दसवीं कक्षा उत्तीर्ण अथवा समकक्ष	लागू नहीं	दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा : <b>नोट</b> : पदाधिकारी के प्रतिनियुक्ति पर होने या लम्बी बीमारी या अध्ययन अवकाश या अन्य किन्हीं परिस्थितियोंवश एक वर्ष या	लागू नहीं	विभागीय पदोन्नति समिति (चयन एवं स्थायीकरण के लिए) (1) उप महानिदेशक, भारतीय वैश्विक मामले परिषद – अध्यक्ष (2) संयुक्त सचिव, भारतीय वैश्विक मामले परिषद – सदस्य (3) निदेशक, विदेश मंत्रालय – सदस्य	लागू नहीं।

			अधिक की अवधि के लिए जाने के कारण उत्पन्न हुई रिक्तियों को केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों से प्रतिनियुक्ति आधार पर भरा जा सकता है— (क) नियमित आधार पर समरूप पदधारक; तथा (ख) कॉलम (7) के अंतर्गत सीधी भर्ती के लिए निर्धारित योग्यताएं रखने वाले।		
--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
8. पुस्तकालय सहायक	2* (2017) * इसमें परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर	श्रेणी 'ख'	लेवल 6	लागू नहीं	30 वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गये अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है) नोट :- आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तिथि जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, लाहौल और स्पीति जिले तथा हिमाचल प्रदेश के चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंडमान निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
अनिवार्य : (1) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से पुस्तकालय या पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान में स्नातक डिग्री (2) केन्द्रीय या राज्य सरकार या स्वायत्त या सांविधिक संस्थान या पब्लिक सैक्टर उपक्रम या विश्वविद्यालय या मान्यताप्राप्त अनुसंधान या शैक्षिक संस्थान के अंतर्गत किसी पुस्तकालय में दो वर्षीय वृत्तिक अनुभव	आयु : नहीं शैक्षिक योग्यता : हां	सीधी भर्ती के लिए दो वर्ष	(1) 50 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा; तथा (2) 50 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा 50 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा	<b>पदोन्नति :</b> ग्रेड में दस वर्षों की सेवा सहित वेतन मैट्रिक्स के लेवल-4 में अर्ध वृत्तिक पुस्तकालय सूचना सहायक जोकि कॉलम (7) के अंतर्गत सीधी भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यताएं एवं अनुभव रखते हैं। प्रतिनियुक्ति द्वारा :- केन्द्रीय सरकार के अंतर्गत निम्नलिखित अधिकारी :- (क) (1) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर समरूप पदधारण करने वाले; अथवा (2) मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के लेवल 5 अथवा समकक्ष पदों में नियमित आधार पर नियुक्ति के उपरांत ग्रेड में छह वर्षों की नियमित सेवा सहित; अथवा (ख) कॉलम (7) में सीधी भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यताएं एवं अनुभव रखने वाले नोट 1 : प्रतिनियुक्ति की अवधि इसमें उसी या केन्द्रीय सरकार के	विभागीय पदोन्नति समिति (चयन एवं स्थायीकरण के लिए) (1) महानिदेशक, भारतीय वैश्विक मामले परिषद - अध्यक्ष (2) उप महानिदेशक, भारतीय वैश्विक मामले परिषद - सदस्य (3) निदेशक, विदेश मंत्रालय - सदस्य	लागू नहीं।

वांछनीय : (1) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कम्प्यूटर अनुप्रयोग में डिप्लोमा				किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से तुरन्त पूर्वधारित किसी अन्य गैर संवर्ग पद में प्रतिनियुक्ति की अवधि भी सम्मिलित है, तीन वर्षों से अधिक नहीं होगी। नोट 2 : प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि को 56 वर्षों से अधिक नहीं होगी।		
----------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
9. अर्ध वृत्तिक सहायक (पुस्तकालय सूचना)	3* (2017) * इसमें परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर	श्रेणी 'ग'	लेवल 4	लागू नहीं	लागू नहीं

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
अनिवार्य : किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से पुस्तकालय विज्ञान या पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान में स्नातक डिग्री  वांछनीय : (1) पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान के क्षेत्र में तीन वर्षीय अनुभव ; तथा (2) कम्प्यूटर एवं पुस्तकालय सॉफ्टवेयर का ज्ञान	लागू नहीं	दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा	नोट : पदाधिकारी के प्रतिनियुक्ति पर होने या लम्बी बीमारी या अध्ययन अवकाश या अन्य किन्हीं परिस्थितियोंवश एक वर्ष या अधिक की अवधि के लिए जाने के कारण उत्पन्न हुई रिक्तियों को केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों से प्रतिनियुक्ति आधार पर भरा जा सकता है— (क) नियमित आधार पर समरूप पदधारक; तथा (ख) कॉलम (7) के अंतर्गत सीधी भर्ती के लिए निर्धारित योग्यताएं रखने वाले।	विभागीय पदोन्नति समिति (चयन एवं स्थायीकरण के लिए) (1) उप महानिदेशक, भारतीय वैश्विक मामले परिषद – अध्यक्ष (2) संयुक्त सचिव, भारतीय वैश्विक मामले परिषद – सदस्य (3) निदेशक, विदेश मंत्रालय – सदस्य	लागू नहीं।

अजनीश कुमार, उप महानिदेशक  
[विज्ञापन III/4/असा./25/17]

## MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

(Indian Council of World Affairs)

### NOTIFICATION

New Delhi, the 25th April, 2017

**F. No. ICWA/Admn/551/24/2012.**—In exercise of the Powers conferred by sub-section (1) of section 26 of the Indian Council of World Affairs Act, 2001 (29 of 2001), the Council hereby makes the following regulations, regulating the method of recruitment to various posts in the Indian Council of World Affairs, namely :—



1. **Short title and commencement.**—(1) These regulations may be called the Indian Council of World Affairs, Recruitment Regulations, 2017.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of Posts, Classification and Level in the Pay Matrix.**—The number of the said posts, their classifications and the Level in the Pay Matrix shall be as specified in columns (2) to (4) of the schedule.

3. **Method of recruitment, age limit, qualifications, etc.**—(1) The method of recruitment, age limit, qualification and other matters to the said posts, shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification.**—No person,—

(a) Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) Who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage, with any person,

shall be eligible for appointment to said posts in the Council :

Provided that the Council may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this regulation.

5. **Power to relax.**—Where the Director General is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, he may, with the approval of the Financial Advisor, by order for reasons to be recorded in writing, relax any of its provisions of these regulations with respect to any post.

6. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, Ex-Servicemen and other specified categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

#### SCHEDULE

Name of Post	Number of post	Classification	Level in pay Matrix	Whether Selection post or non-Selection post	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.Accounts Officer	(2017) * Subject to variation dependent on workload	General Central Service, Group 'B' Gazetted, Non Ministerial	Level 8	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable

Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/ deputation/ absorption grades from which promotion/ deputation/ absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable	By promotion, failing which, by transfer on deputation from Organised	<b>By promotion:</b> Accounts Assistant in Level 6 in the Pay Matrix with six years regular service in the grade.	Departmental Promotion Committee (for considering selection or confirmation) consisting of :-	Not Applicable

<p>Accounting Service of Controller General of Accounts, Ministry of Finance.</p>	<p><b>Note</b> : Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their senior shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p> <p><b>By deputation</b> – officers of the Central Government;</p> <p>(a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department or (ii) with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in Level 6 in the Pay Matrix or equivalent in the parent cadre or department; (with six years service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in Level 6 in the Pay Matrix or equivalent in the parent cadre or department); and</p> <p>(b) possessing any one of the following qualifications:-</p> <p>(i) A pass in the subordinate accounts service or equivalent Exam conducted by any of the Organised Accounts Departments of the Central Government;</p> <p>(ii) Successful training in the Cash and Accounts Work in the ISTM or equivalent training course or minimum of three years of experience (four years, if the post is in Level 8 in the Pay Matrix) in Cash, Accounts and Budget work.</p> <p><b>Note 1:</b> The Departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion,.</p> <p><b>Note2:</b> The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or other organisation/Department of the Central Government shall not exceed three years).</p>	<p>(i). Director General, Indian Council of World Affairs – Chairman,</p> <p>(ii). Deputy Director General, Indian Council of World Affairs – Member,</p> <p>(iii). Director, Ministry of External Affairs – Member.</p>	
-----------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

		The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of application.		
--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.Accounts Assistant	1* (2017)  * Subject to variation dependent on workload	Group 'B'	Level 6	Not applicable	Not exceeding 30 years (Relaxable for Government servants upto 5 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government.)  Note: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman Nicobar Islands or Lakshadweep).

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
<b>Essential:</b> (i) Bachelor's Degree in Commerce from a recognised University or Institute  Desirable: (i) Certificate course in Computer Applications; (ii) Certificate course in Accounting software (Tally, etc).	Not applicable	Two years for direct recruits	Deputation failing which, by direct recruitment	<b>Deputation:</b> Officers under the Central Government:- (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department ; or (ii) With six years' regular service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in posts in Level 5 in the Pay Matrix or equivalent in the parent cadre or department; or (iii) with eight years' regular service in the grade rendered after appointment thereto in Level 4 in the Pay Matrix or equivalent in the parent cadre or department; and (b) possessing the educational qualification prescribed for direct recruits in column (7)  <b>Note 1:</b> Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organisation or department of the Central Government shall not exceed three years.  <b>Note 2:</b> The maximum age limit for appointment by	Departmental Promotion Committee (for considering selection or confirmation) consisting of :-  (i). Director General, Indian Council of World Affairs – Chairman,  (ii). Deputy Director General, Indian Council of World Affairs – Member,  (iii). Director, Ministry of External Affairs – Member.	Not Applicable

				deputation shall not exceed 56 years as on the last date of receipt of application.		
--	--	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3. Assistant (Information Technology)	1* (2017)  *Subject to variation dependent on workload	Group 'B'	Level 6	Not applicable	Not exceeding 30 years (Relaxable for Government servants upto 5 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government.)  Note: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman Nicobar Islands or Lakshadweep).	Essential: (i) Bachelor's Degree in Computer Applications or Information Technology or Computer Science of a recognised University or Institute

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable	Two years for direct recruits	Deputation failing which by direct recruitment	Deputation:  Officers under the Central Government:- (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department ; or (ii) With six years' regular service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in posts in Level 5 in the Pay Matrix or equivalent in the parent cadre or department; and (b) possessing the educational qualification prescribed for direct recruits under column (7)  <b>Note 1:</b> Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organisation or department of the Central Government	Departmental Promotion Committee (for considering selection or confirmation) consisting of:-  (i). Director General, Indian Council of World Affairs- Chairman,  (ii). Deputy Director General, Indian Council of World Affairs – Member,  (iii). Director, Ministry of External Affairs – Member.	Not Applicable

			shall not exceed three years. <b>Note 2:</b> The maximum age-limit for appointment by deputation shall not exceed 56 years as on the last date of receipt of application.		
--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4. Upper Division Clerk	1* (2017)  * Subject to variation dependent on workload	Group 'C'	Level 4	Non-selection	Between 18 and 27 years (relaxable for Government servants up to 40 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government.)

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable	Not applicable	Nil	Promotion failing which by deputation	<p><b>Promotion:</b> Lower Division Clerk in Level 2 in the Pay Matrix with eight years service in the grade</p> <p><b>Note:</b> Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their senior would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p> <p><b>Deputation:</b> Officers under the Central Government:- (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department ; or (ii) with eight years regular service in the grade of Lower Division Clerk or equivalent.</p> <p><b>Note 1:</b> The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.</p> <p><b>Note 2:</b> Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held</p>	<p>Departmental Promotion Committee/Selection Committee:</p> <p>i. Deputy Director General, Indian Council of World Affairs - Chairman</p> <p>ii. Joint Secretary, Indian Council of World Affairs – Member</p> <p>iii. Director, Ministry of External Affairs – Member</p>	Not Applicable

				<p>immediately preceding this appointment in the same or some other Organization or department of the Central Government shall not exceed three years.</p> <p><b>Note 3:</b> The maximum age-limit for appointment by deputation shall not exceed 56 years as on the last date of receipt of application.</p>		
--	--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5. Lower Division Clerk	2* (2017) * Subject to variation dependent on workload	Group 'C'	Level 2	Non - selection	<p>Between 18 and 27 years (relaxable for Government servants up to 40 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government.)</p> <p><b>Note:</b> The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman Nicobar Islands or Lakshadweep).</p>

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
<p>Essential: 12<sup>th</sup> class pass or equivalent qualification from a recognised Board or University</p> <p><b>Desirable:</b> Certificate course in Computer Applications</p>	Age: No Educational Qualifications : Yes	Two years	<p>(i) 50% by direct recruitment; and</p> <p>(ii) 50% by promotion</p>	<p>Promotion: Multi Tasking Staff in Level 1 in the Pay Matrix with three years service in the grade who possess the educational qualifications prescribed for direct recruits under column (7)</p> <p><b>Note:</b> Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their senior would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher</p>	<p>Departmental Promotion Committee (for considering selection or confirmation) consisting of :-</p> <p>i. Deputy Director General, Indian Council of World Affairs – Chairman,</p> <p>ii. Joint Secretary, Indian Council of World Affairs – Member,</p> <p>iii. Director,</p>	Not Applicable

				grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.	Ministry of External Affairs – Member.	
--	--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6. Multi Tasking Staff	14* (2017) * Subject to variation dependent on workload	Group 'C'	Level 1	Not applicable	Between 18 and 25 years <b>Note:</b> The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman Nicobar Islands or Lakshadweep).

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Matriculation or equivalent pass from a recognised Board	Not applicable	Two years	By direct recruitment. <b>Note:</b> Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of Central Government - (a) holding analogous posts on regular basis; and (b) possessing the qualifications prescribed for direct recruits under column (7).	Not applicable	Departmental Promotion Committee (for considering selections or Confirmation) consisting of :- (i) Deputy Director General, Indian Council of World Affairs – Chairman, (ii) Joint Secretary, Indian Council of World Affairs – Member, (iii) Director, Ministry of External Affairs – Member.	Not Applicable

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
7. Library Assistant	2* (2017) * Subject to variation dependent on workload	Group 'B'	Level 6	Not applicable	Not exceeding 30 years (Relaxable for Government servants up to five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). <b>Note:</b> The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh

					Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman Nicobar Islands or Lakshadweep).
--	--	--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
<p><b>Essential:</b></p> <p>(i) Bachelor's Degree in Library or Library and Information Science of a recognised University or Institute</p> <p>(ii) Two years' professional experience in a Library under Central or State Government or Autonomous or Statutory Organisation or Public Sector Undertaking or University or Recognised Research or Educational Institution.</p> <p><b>Desirable:</b></p> <p>(i) Diploma in Computer Applications from a recognised University or Institute.</p>	<p>Age: No</p> <p>Educational Qualifications: Yes</p>	Two years for direct recruits	<p>(i) 50% by promotion; and</p> <p>(ii) 50% by direct recruitment</p>	<p><b>Promotion:</b></p> <p>Semi-professional Library Information Assistant in Level 4 in the Pay Matrix with ten years service in the grade who possess the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (7)</p> <p><b>Deputation:</b></p> <p>Officers under the Central Government:-</p> <p>(a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department ; or</p> <p>(ii) With six years' regular service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in posts in Level 5 in the Pay Matrix or equivalent in the parent cadre or department; and</p> <p>(b) possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (7)</p> <p><b>Note 1:</b> Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organisation or department of the</p>	<p>Departmental Promotion Committee (for considering selection or confirmation) consisting of :-</p> <p>(i). Director General, Indian Council of World Affairs – Chairman,</p> <p>(ii). Deputy Director General, Indian Council of World Affairs – Member,</p> <p>(iii). Director, Ministry of External Affairs – Member.</p>	Not Applicable



				Central Government shall not exceed three years. <b>Note 2:</b> The maximum age-limit for appointment by deputation shall not exceed 56 years as on the last date of receipt of application.		
--	--	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
8. Semi-professional Assistant (Library Information )	3* (2017) * Subject to variation dependent on workload	Group 'C'	Level 4	Not applicable	Not applicable

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
<b>Essential:</b> Bachelor's Degree in Library Science or Library and Information Science of a recognised University or Institute. <b>Desirable:</b> (i) Three years experience in the field of Library and Information Science; and (ii) Knowledge of computer and library software.	Not applicable	Two years	By direct recruitment	<b>Note:</b> Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of Central Government - (a) holding analogous posts on regular basis; and (b) possessing the qualifications prescribed for direct recruits under column (7).	Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) consisting of :- (i) Deputy Director General, Indian Council of World Affairs – Chairman, (ii) Joint Secretary, Indian Council of World Affairs – Member, (iii) Director, Ministry of External Affairs – Member.	Not Applicable

AJANEESH KUMAR, Dy. Director General

[ADVT.-III/4/Exty./25/17]